

**जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के सरकारी वाहनों की नीलामी हेतु**  
**नीलामी की नियम व शर्तें**

1. सरकारी वाहन यू0पी0-70 जे0 7013 (एम्बेसडर कार पेट्रोल चालित, माडल-1996) तथा यू0पी0-73 0777 (एम्बेसडर कार पेट्रोल चालित, माडल-1998) की नीलामी दिनांक : **19.02.2016** को सायं **03:00** बजे से जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नवीन भवन में जिलाधिकारी, कौशाम्बी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी ।
2. नीलामी में बोली बोलने हेतु आवेदन पत्र दिनांक : **19.02.2016** से पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर या दिनांक : **19.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।
3. बोली दाता को जमानत/धरोहर धनराशि **10,000/- रुपये** नकद धनराशि के रूप में दिनांक : **19.02.2016** से पूर्व या दिनांक : **19.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी । नीलामी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
4. उपरोक्त वाहनों का निरीक्षण, इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दिनांक : **19.02.2016** के पूर्व किसी भी कार्यदिवस में सुबह **10.00 बजे** से सायं **4:00 बजे** के मध्य या दिनांक : **19.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है ।
5. जमानत/धरोहर धनराशि जमा करते समय बोली दाता को अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो, निवास तथा पहचान/परिचय पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी ।
6. नीलामी हेतु संदर्भित वाहन की नीलामी "जहाँ भी, जैसी भी स्थिति में है", के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
7. सर्वाधिक बोलीदाता को सर्वोच्च/स्वीकृत बोली की **1/2** भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष **1/2** भाग की धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात **7 दिन** के भीतर, वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने के पूर्व जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
8. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने स्वयं के खर्च पर वाहन को नीलामी स्थल से ले जायेंगे तथा उनको वाहन के विक्रय पत्र/हरतानान्तरण तथा नीलामी की विज्ञप्ति विज्ञापन का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा ।

(2)

9. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापस कर दी जायेगी ।
10. वाहनों की नीलामी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नीलामी स्वीकृति पत्र, दिनांकित : 17.09.2015 में निर्गत किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार करायी जायेगी ।
11. — किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में मा0 जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा ।  
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष, नीलामी समिति

दिनांक : 05.02.2016

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी  
जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा नामित

नीलामी समिति के सदस्यगण :-

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-05,  
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।
2. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
कौशाम्बी ।